उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या 32 /XXVii(7)50(16)/2016
देहरादूनः दिनांक 01 ~~दिसम्बर~~ मार्च, 2017

संकल्प

विषय :– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियों देने हेतु गठित वेतन समिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के संकल्प पत्र संख्या 07/XXVii(7)50(16)/2014, दिनांक 14 जनवरी, 2016 तथा संकल्प पत्र संख्या 201/XXVii(7)50(16)/2014, दिनाक 7 सितम्बर, 2016 में वेतन समिति के विचारण हेतु संकल्प दिनांक 14 जनवरी, 2016 के प्रस्तर–2 के उपबन्ध–10 के क्रम में पूर्व निर्धारित बिन्दुओं के अतिरिक्त समिति निम्न बिन्दुओं पर भी अध्ययन कर अपनी युक्तिसंगत संस्तुति करेगी :–

1. उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त वित्तीय नियमों, प्रकियाओं, वित्तीय सीमाओं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हुए परिवर्तनों एवं ऐसे नियम/प्रकिया जो वर्तमान के आलोक में अब अप्रसांगिक हो चुके हैं, के सदर्भ में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, बजट मैनुअल, विभिन्न वित्तीय मैनुअलों एवं वित्तीय नियमावलियों आदि में वर्णित नियमों/उपनियमों में यथा आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में अध्ययन एवं संस्तुति।
2. वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से सभी विभागों के लिए एक सामान्य वित्तीय रूल्स(GFR) पर अध्ययन एवं संस्तुति।
3. वर्तताान में लागू अधिप्राप्ति के नियमों, प्रकियाओं का अध्ययन करके गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों में अधिप्राप्ति के वर्तमान में प्रचलित मार्डन एवं पारदर्शी सिस्टम को सरकारी अधिप्राप्तियों के लिए अपनाये जाने पर अध्ययन एवं संस्तुति।
4. सरकारी तंत्र में वर्तमान में लागू अधिकारों के प्रतिनिधायन का अध्ययन करके इसके स्वरूप को और अधिक सार्थक बनाये जाने के परिपेक्ष्य में इसमें यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्धन पर अध्ययन एवं संस्तुति।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

1. यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट में विज्ञाप्ति किया जाय।
2. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।
3. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।
4. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतें को भी भेजी जाये।
5. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी भेजी जायें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।